



2026:AHC:129499

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21013 सन् 2026

श्रीमती रोशनी ..... आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी पक्ष

आवेदिका के अधिवक्ता : धीरेन्द्र सिंह राजपूत, राजेंद्र कुमार सोनकर

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 73**

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह राजपूत और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री हरि प्रकाश सिंह को सुना गया।
2. यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत आवेदन, जो आवेदिका श्रीमती रोशनी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 7/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता थाना बाकेवार, जिला इटावा में जमानत पर रिहा करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मृतक के भाई द्वारा आवेदिका के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत आगरा जिले के जीआरपी पुलिस स्टेशन में 27 अगस्त 2025 को शाम 6:15 बजे शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज कराई गई थी, जो कि 07.01.2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0007/2026 में परिवर्तित हो गई। इसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदिका मृतक की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पत्नी है, जिसका विवाह 26.02.2025 को संपन्न हुआ था, लेकिन ससुराल वालों द्वारा मृतक को अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहने के लिए कहने के कारण वैवाहिक कलह उत्पन्न हो गई थी।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत अपराध करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, खासकर तब जब भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 107 के प्रावधानों के अनुसार केवल इरादा और उकसाने की आवश्यकता हो। उनका निवेदन है कि आवेदिका पत्नी है और ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे यह भी साबित हो कि आवेदिका ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरक का काम करने वाली परिस्थितियाँ बनाई थीं। उनका तर्क है कि आवेदिका को झूठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आत्महत्या ससुराल में नहीं हुई, बल्कि रेलवे ट्रैक पर हुई थी और आवेदिका 9 अप्रैल 2026 से जेल में बंद है। *निपुन अनेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 4091* और *अभिनव मोरेडेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1725* के फैसलों पर भी भरोसा जताया गया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए, *प्रथम दृष्टया* आवेदिका जमानत पर रिहा होने की हकदार है क्योंकि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 09.04.2026 से जेल में बंद है।

6. आवेदिका **श्रीमती रोशनी** को मुकदमा अपराध संख्या 7/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत, पुलिस स्टेशन बाकेवार, जिला इटावा में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह दो जमानती सहित समान राशि का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करे, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



- (i) आवेदिका साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और न ही गवाहों को धमकाएगी।
- (ii) आवेदिका को यह वचन देना होगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगी, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (iii) आवेदिका प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत कार्यवाही कर सकती है।
- (iv) यदि आवेदिका विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदिका ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।
- (v) आवेदिका को विचारण की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदिका की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।
- (vi) आवेदिका को प्रत्येक माह के पहले सोमवार को संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होगा।

9. यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की पुष्टि संबंधित प्राधिकारी द्वारा की जाए, इससे पहले कि उन्हें स्वीकार किया जाए।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। आवेदिका को जमानत देते समय की गई कोई भी टिप्पणी, गवाहों की गवाही के आधार पर विचारण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।

11. तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जून, 2026

एन.एस.राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।